भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4779
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को दिया जाना है

न्यायिक मामलों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश

†4779. श्री अरविंद गणपत सावंत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न मंत्रालयों में वकीलों के पैनलों को न्यायिक मामलों के आवंटन के लिए नए दिशानिर्देश किस प्रकार लागू किए जाने का विचार है;

(ख) इस संबंध में सरकार की कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वाद-विवाद के लिए नामित सभी प्रभारी अधिकारियों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) सरकार वाद-विवाद प्रभारियों द्वारा मामलों के आवंटन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की किस प्रकार निगरानी करती है तथा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा तारीख 16 अक्तूबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-16/20/2024-न्यायिक और तारीख 11 अगस्त, 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-12/7/2025-न्यायिक द्वारा अधिवक्ताओं के पैनल को मामलों के आबंटन से संबंधित जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में पैनल अधिवक्ताओं को मामलों के पारदर्शी आबंटन का उपबंध किया गया हैं (दोनों कार्यालय ज्ञापनों की प्रतियाँ संलग्न हैं) ।

इसके अतिरिक्त, विधिक कार्य विभाग द्वारा तारीख 21.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-12017/1/2019 न्यायिक और तारीख 13.09.2022 उपांतरित कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-12017/1/2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में पदाभिहित मुकदमेबाजी प्रभारी (लिटिगेशन इंचार्ज) द्वारा न्यायालयों/अधिकरणों के पैनल काउंसेल के बीच भारत संघ से संबंधित मामलों

के आबंटन की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है । उक्त कार्यालय ज्ञापनों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के संबंध में, मामलों का आबंटन भारत के मननीय महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) और उसके पश्चात् भारत के माननीय महासालिसिट् द्वारा किया जाना है ।

तारीख 16.10.2024 और 11.08.2025 को जारी उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि पैनल काउंसेल अपनी लिम्बस आईडी को सक्रिय करें और उन्हें सौंपे गए मामलों की प्रास्थिति को नियमित रूप से अद्यतन करें, जिसकी निगरानी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा लिम्बस पोर्टल पर की जानी है ।

फ. सं. जे-12/7/2025-न्यायिक
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
(न्यायिक अनुभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 11 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारत संघ की ओर से माननीय उच्च न्यायालयों/अधिकरणों/जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों एवं निवारण आयोग आदि के समक्ष नामित मुकदमा प्रभारी द्वारा संबंधित पैनल काउंसेल के बीच मामलों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी आवंटन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में, इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-16/20/2024-न्यायिक दिनांक 16.10.2024 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में, उक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के समय से ही, यह देखा गया है कि निर्दिष्ट मुकदमा प्रभारी विशेष रूप से, मामलों के आवंटन की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लिम्बस पोर्टल पर मामलों की स्थिति को अद्यतन करने के मामले में (विद्वान एएसजीआई, डीएसजीआई, वरिष्ठ सीजीएससी और एसजीसी) उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए दिशानिर्देशों का अक्षरशः और पूर्ण निष्ठा के साथ पालन नहीं कर रहे हैं;

3. 'भारत सरकार द्वारा मुकदमों के कुशल और प्रभावी प्रबंधन पर निदेशों' के 04.04.2025 को जारी होने के बाद से एएसजीआई / डीएसजीआई / पैनल काउंसेल की निगरानी और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य से विभाग को मामलों के आवंटन पर नियमित मासिक रिपोर्टों की आवश्यकता होती है व इसके साथ ही, इस विभाग द्वारा विकसित लिम्बस पोर्टल पर मामलों के संबंध में नियमित अद्यतन भी आवश्यक है ताकि संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा सीधे ही मामलों की निगरानी की जा सके।

4. उपर्युक्त के आलोक में, सभी निर्दिष्ट मुकदमा प्रभारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:

(i) पैनल काउंसेल (जिसमें स्वयं मुकदमा प्रभारी भी शामिल हैं) को आबंटित मामलों की मासिक रिपोर्ट ईमेल द्वारा विधि कार्य विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें; और

(ii) यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मामले को आवंटिती काउंसेल द्वारा लिम्बस पोर्टल पर अपडेट किया जाए और पैनल काउंसेल (मुकदमा प्रभारी सहित) द्वारा प्रस्तुत शुल्क बिलों में मामले की विशिष्ट लिम्बस आईडी होनी चाहिए। लिम्ब्स आईडी का उल्लेख किए बिना, केंद्रीय एजेंसी अनुभाग/मुकदमा अनुभाग/शाखा सचिवालयों और प्रशासनिक मंत्रालय/संबंधित विभाग, जैसा भी मामला हो, द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. उपर्युक्त निर्देश माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं।

संलग्नः यथोक्त।

(एम. सी. पुष्टि)
वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता

सेवा में,

1. भारत के अपर महासॉलिसिटर (सूची के अनुसार)
2. भारत के उप महासॉलिसिटर (सूची के अनुसार)
3. वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी स्थायी काउंसेल (सूची के अनुसार)
4. स्थायी सरकारी स्थायी काउंसेल (सूची के अनुसार)।

निम्नलिखित को (ईमेल द्वारा) प्रतिलिपि

1. मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय / विभाग।
2. माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
3. विधि कार्य विभाग के मुख्य सचिवालय में विधि सचिव/सभी अपर सचिव और संयुक्त सचिवों व विधि सलाहकारों के प्रधान स्टाफ अधिकारी।
4. भारत के विद्वान महान्यायवादी/ भारत के विद्वान महासॉलिसिटर।
5. प्रभारी, शाखा सचिवालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और बेंगलुरु।
6. प्रभारी, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग।
7. प्रभारी, मुकदमा (उच्च न्यायालय / कैट / निचला न्यायालय) अनुभाग।
8. विधि कार्य विभाग की लिम्ब्स टीम।
9. इस विभाग की वेबसाइट www.legalaffairs.gov.in पर 'न्यायिक अनुभाग' टैब में मुकदमा से संबंधित 'परिपत्र' लिंक के अंतर्गत अपलोड करना।
10. कार्यालय/अतिरिक्त प्रतियां।
11.

(कुमार गौरव)
अनुभाग अधिकारी(न्यायिक)
दूरभाष: 011-23384945
Email: judicial-dla@nic.in

डाक/ई-मेल के माध्यम से

फा. सं. जे-16/20/2024-न्यायिक
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
(न्यायिक अनुभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारत संघ की ओर से माननीय उच्च न्यायालयों/अधिकरणों/जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों एवं निवारण आयोग आदि के समक्ष नामित मुकदमा प्रभारी द्वारा संबंधित पैनल काउंसेल के बीच मामलों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी आवंटन - के संबंध में।

इस विभाग ने इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-12017/1/2019 - न्यायिक दिनांक 21.10.2019 (प्रति संलग्न) के माध्यम से उच्च न्यायालय/अधिकरण तथा जिला एवं संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कुछ श्रेणियों के विधि अधिकारियों/पैनल काउंसेल को मुकदमा प्रभारी के रूप में नामित किया है। इन मुकदमा प्रभारियों की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य संबंधित उच्च न्यायालय/अधिकरण/जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पैनल काउंसेलों के बीच मामलों का पर्यवेक्षण और उचित आवंटन करना है, जिसकी सूचना सीधे इस विभाग को दी जाती है।

2. लेकिन, इस विभाग को संबंधित उच्च न्यायालयों/अधिकरणों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे के प्रभारी अधिकारियों द्वारा मामलों के अनुचित और अपारदर्शी आवंटन के संबंध में न केवल पैनल काउंसेल से बल्कि मंत्रालयों/विभागों से भी शिकायतें/रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। ऐसी प्रथाएं न केवल अन्य पैनल काउंसेलों के लिए हानिकारक हैं, बल्कि भारत संघ के हितों को भी खतरे में डालती हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ श्रेणी के काउंसेलों को सामान्य/नियमित मामलों का आवंटन अनावश्यक बोझ डालता है।

3. उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु, अधोहस्ताक्षरी को माननीय उच्च न्यायालयों/ अधिकरणों/जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा निवारण आयोग आदि के सभी नामित मुकदमा प्रभारियों को निम्नलिखित दिशानिर्देश परिचालित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि इनका कड़ाई से पालन किया जा सके:

i साधारण/नियमित प्रकृति के मामलों को पैनल काउंसेल (अपर एसजीआई/उप एसजीआई/वरिष्ठ पैनल काउंसेल को छोड़कर) को बारी-बारी से सौंपा जा सकता है;

ii यदि मंत्रालय/विभाग किसी विशेष पैनल काउंसेल के नाम की लिखित रूप में सिफारिश करता है, तो इसका उचित औचित्य होना चाहिए;

iii महत्वपूर्ण, संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले मामले, जिनमें चुनौती के तहत प्रावधान की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले भी शामिल हैं, अपर एसजीआई / उप एसजीआई / वरिष्ठ पैनल काउंसेल को और/या संबंधित मंत्रालय / विभाग के लिखित में विशिष्ट अनुरोध पर सौंपे जा सकते हैं;

iv दो या दो से अधिक मामले जिनमें विधि या तथ्यों के सारतः समान प्रश्न शामिल हों और जहाँ मुख्य अंतर संबंधित पक्षकारों के नाम, पते, शामिल धन राशि आदि में हो, चाहे ऐसे सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो या नहीं, एक ही पैनल काउंसेल को सौंपा जा सकता है, भिन्न-भिन्न को नहीं;

v अपर एसजीआई / उप एसजीआई / वरिष्ठ पैनल काउंसेल को छोड़कर, किसी भी पैनल काउंसेल के पास किसी भी समय संबंधित उच्च न्यायालय / अधिकरण / जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार के मुकदमे की कुल लंबितता में से 10% से अधिक मामले नहीं होने चाहिए;

vi यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी पैनल काउंसेलों की लिम्बस आईडी सक्रिय हो जाए और वे नियमित रूप से उन्हें सौंपे गए मामलों की स्थिति को अपडेट करते रहें;

vii विभागों को लिम्बस पोर्टल के माध्यम से मामलों की निगरानी करनी होगी; और

viii पैनल काउंसेलों को मामलों के आवंटन पर एक मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से ईमेल के माध्यम से इस विभाग को भेजी जा सकती है।

4. इन दिशा-निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन करना आवश्यक है।

5. यह माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से किया गया है।

संलग्नः यथोक्त

(एम. सी. पुष्टि)
वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता

सेवा में,

1. भारत के अपर महासॉलिसिटर (सूची के अनुसार)।
2. भारत के उप महासॉलिसिटर (सूची के अनुसार)।
3. वरिष्ठ केंद्र सरकार स्थायी काउंसेल (सूची के अनुसार)।
4. स्थायी सरकारी काउंसेल (सूची के अनुसार)।

निम्नलिखित को ईमेल के माध्यम से प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
2. माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के पीएस।
3. विधि सचिव/सभी अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों और विधि कार्य विभाग के मुख्य सचिवालय में विधि सलाहकारों के पीएसओ।
4. भारत के विद्वान महान्यायवादी/भारत के विद्वान महासॉलिसिटर।
5. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु स्थित विधि कार्य विभाग के सभी चार शाखा सचिवालय।
6. मुकदमा (उच्च न्यायालय/सीएटी/निचला न्यायालय) अनुभागों के प्रभारी।
7. इस विभाग की वेबसाइट www.legalaffairs.gov.in पर 'न्यायिक अनुभाग' टैब के अंतर्गत 'मुकदमा से संबंधित परिपत्र' लिंक में अपलोड किया जाए।
8. कार्यालय/अतिरिक्त प्रतियां।

(कुमार गौरव)
अनुभाग अधिकारी (न्यायिक)
दूरभाषः011-23384945
ईमेलःjudicial-dla@nic.in